प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नारायण भाई पुत्र कानजी प्रजापत 15,नूतन सोसायटी पालडी अहमदाबाद 380007		राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रानीवाडा
प्रकरण अपील		31/2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/00127

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

03.12.2019	अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 18.12.2019 को जवाव/बहस हेतु पेश हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर
18.12.2019	अपीलांट व सहायक लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित ।सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)रानीवाडा का जवाब ई मेल से प्राप्त हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)रानीवाडा ने जवाब दिनांक 17.12.2019 में व्यक्त किया कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र के कम में आवेदित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/446 दिनांक 11.11.2019 द्वारा अपीलांट को भिजवाई गई है।जवाब दिनांक 17.12.2019 में यह भी व्यक्त किया है कि बिन्दु संख्या 1 अनुसार कृषि आदान अनुदान 2017 में प्रार्थी के बैंक खाता 247279889567 में राशि 5479 रूपये का दिनांक 12.12.2019 को बिल नंबर 16 को भुगतान हेतु ट्रेजरी रानीवाडा में भिजवाया गया है। बिन्दु संख्या 2 अनुसार अंतिम सूचना विभाग से संकलित होकर प्राप्त होना शेष है।अत:सूचना दिया जाना संभव नही है। सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार रानीवाडा) के द्वारा प्रस्तुत जवाब में किये गये कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना के संबध में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/446 दिनांक 11.11.2019 को भिजवाया जाना पाया जाता है।तथा अपील में रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जबाब अनुसार कृषि आदान अनुदान 2017 में प्रार्थी के बैंक खाता 247279889567 में राशि 5479 रूपये का दिनांक 12.12.2019 को बिल नंबर 16 को भुगतान हेतु ट्रेजरी रानीवाडा में भिजवाया गया है। तथा अंतिम सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से अपीलांट को सूचना दिया जाना संभव नही होना बताया गया है।सूचना के अधिकार अधिनियम में कार्यालय में उपलब्ध सूचना ही उपलब्ध करवाई जाती है।इस प्रकार राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रानीवाडा के स्तर से अपीलांट को सूचना उपलब्ध करवाया शेष होना नही पाया जाता है। अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर